

प्रेषक,
नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी/नियत प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।
3. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
4. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-8

लखनऊ : दिनांक: 03 जुलाई, 2023

विषय : अनधिकृत कालोनियों पर प्रभावी नियंत्रण/रोकथाम हेतु दिशा-निर्देश।
महोदय,

कृपया अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण में विकास प्राधिकरणों के समक्ष आ रहे व्यवहारिक कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुये शासनादेश संख्या-5097/9-आ-3-2001 (आ.ब.) दिनांक 26.05.2001, शासनादेश संख्या-5438/9-आ-3-2001, दिनांक 02.12.2003 शासनादेश संख्या-3805/8-3-2008-194 काम्प/2001 दिनांक 05.08.2008 व शासनादेश संख्या: 1428/आठ-8-18-194काम्प/2001, दिनांक 09.08.201 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में अवैध कालोनियों के नियमितीकरण हेतु शासनादेश संख्या: 5097/9-आ-3-2001, दिनांक 26 मई, 2001 द्वारा गाईडलाइन्स जारी की गई थी, जिनके क्रियान्वयन में समय-समय पर उत्पन्न कठिनाईयों के निराकरण हेतु विकास प्राधिकरणों से प्राप्त सुझावों के आधार पर शासनादेश संख्या: 5438/9-आ-3-2001, दिनांक 02.12.2003 एवं शासनादेश संख्या: 3805/8-3-2008-194काम्प/2001, दिनांक 05.08.2008 द्वारा उक्त गाईडलाइन्स में कतिपय संशोधन एवं शासनादेश संख्या: 1428/आठ-8-18-194काम्प/2001, दिनांक 09.08.2018 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।


भेषदीय,
नितिन रमेश गोकर्ण
(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव।

क्रमशः पृष्ठ-2

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को वेबसाईट के उपयोगार्थ।
8. समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से, 
03.7.2022

(चन्द्र श्याम मिश्र)
अनु सचिव।

